6/1

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
## पीठासीन अधिकारी—श्री भगवत सिंह देवल

अपील संख्या 208 / 15 तारीख रजू— 08 / 12 / 2015

धर्मराज पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी बडागांव तहसील मलारनाडूंगर। ——अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,मलारनाडूंगर। ———— रेस्पो0

**निर्णय** दिनांक—23 / 06 / 2016

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,मलारनाडूंगर द्वारा मिसल संख्या 261 / 15 मे पारित आदेश दिनांक 12 / 10 / 2015 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बडागांव कहार की आराजी खसरा नम्बर 2254 रकवा 0.23 हैक्टर किस्म गै0मु0तलाई पर संवत 2072 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से जोत लगाकर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के साथ साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मान्ते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय परोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत मे रखा गया।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का वर्णन करते हुए बहस मे तर्क दिया कि अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थी को कोई नोटिस नही दिया ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया इस प्रकार अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना कर निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि पटवारी हल्का द्वारा घर पर बैठकर मनमाने तरीके से अतिक्रमण की रिपोर्ट की है। अपीलार्थी ने सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया है। खसरा नम्बर 2254 के पश्चिमी तरफ का कुछ हिस्सा रास्ते के काम आता है क्योकि खसरा नम्बर 2251 अपीलार्थी के पिता की खातेदारी मे है उसमे जाने का कोई रास्ता नही है, रास्ते मे कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 2252 का भी आता है। खसरा नम्बर 2252 का खातेदारी व अपीलार्थी के पिता खसरा नम्बर 2254 मे होकर ही आते है। इस प्रकार अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी का कोई अतिचार नही होने से अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई रिकार्ड नही है ना ही अपीलार्थी को अतिक्रमित आराजी से पूर्व निर्णय की पालना मे भौतिक रूप से कब बेदखल किया गया है इसका कोई उल्लेख है। इस प्रकार अदालत मातहत ने अपीलार्थी को बिना दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा का जो दण्ड दिया है व निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि मोके की कोई जॉच नही की गई है व अदालत मातहत ने भी पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास करके उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खिलाफ कानून होने के कारण निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे तर्क दिया कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने व अपीलार्थी का अतिचारित भूमि पर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

6/2

पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमिता व अवैधानिकता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनो पक्षो की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की अपीलार्थी के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी को सूनवाई सबूत प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान लेण्ड रेवन्यू एक्ट की धारा 91/उपनिवेशन अधिनियम,1954 की धारा 22 का नोटिस नियत दिनांक 12/10/15 का जारी किया है जिस पर अपीलार्थी की प्रोपर तामील हुई है। नियत दिनांक को अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नही हुआ है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत की पत्रावली मे संलग्न पटवारी हल्का के बयानो का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पटवारी हल्का के बयान प्रिन्टेड प्रपत्र मे रिक्त स्थानो को हाथ से भरकर लिये गये है तथा बयान किस दिनांक को लिये गये है का कोई अंकन नही है। जहां तक अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली मे पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को एकमात्र आधार मानकर सिविल कारावास की सजा का दण्ड पारित किया है। सिविल कारावास की कठोर सजा का दण्ड पारित करने से पूर्व, पूर्व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि तथा निर्णय की पालना मे बेदखली रिपोर्ट का दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे पत्रावली मे शामिल होना आवश्यक है जिससे अपीलार्थी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि हो सके जिसका भी इस प्रकरण मे अभाव पाया जाता है। अतः बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलार्थी के विरूद्व पारित सिविल कारावास की सजा को न्यायोचित नही कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी ने अतिकमित आराजी से अपना अतिकमण हटा लिया है तथा भविष्य मे कभी भी उक्त आराजी पर अतिकमण नही करूगा। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये बिना व बिना दस्तावेजी साक्ष्य के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो नियमान्तर्गत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली व शास्ति का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2016 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

23/6/16

(भगवत सिंह देवल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर